

भाग - 2

(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1.	परियोजना / स्कीम का नाम	765 के0 वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी - उन्नाव लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव वन प्रभागों में कुल 15.6118 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।
1.1	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	
1.2	वन प्रभाग	उत्तर प्रदेश
1.3	वर्णित प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०)	कानपुर नगर
1.4	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित 3.5583 हे० तथा संरक्षित 0.8155 हे० (कुल 4.3738 हे०)
1.5	हरियाली का घनत्व	आरक्षित / संरक्षित
1.6	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)	0.4 कानपुर वन प्रभाग में प्रस्तावित आरक्षित व संरक्षित वन भूमि के बाधक वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।
1.7	सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में ऐ०फ० आर० एल०४ मी० भी संलग्न किये जाएं।	लागू नहीं
1.8	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	नहीं
1.9	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन वन क्षेत्र के ऊपर से गुजरेगी
1.10	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कॉरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जायें)	नहीं
1.11	क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ / संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - १ कालम २ में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और निवननतम है यदि नहीं तो मांगे गए विकल्पों के ब्योरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित क्षेत्र अपरिहार्य व न्यूनतम है
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहे हैं।	नहीं
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	
4.1	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अभिक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखंडों की संख्या प्रत्येक भूखंड का आकार आदि का विवरण।	

4.2	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र के आसपास की सीमाओं को दर्शाता मैप।	-
4.3	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण	-
4.4	कार्यान्वयन एजेंसी, समय, अनुसूची लागत, ढांचा आदि।	-
4.4.1	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	-
4.4.2	मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य।	-
4.5	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किया जाए)	-
5.	जिला उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम - ७, ८ और ९ में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है
6.	विभाग / जिला प्रोफाइल	-
6.1	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	-
6.2	जिले का वन क्षेत्र	31.55 वर्ग किमी
6.3	मामलों की संख्या सहित १९८० से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	5398.255 वर्ग किमी
7.	१९८० से निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य	8.346 हे०
7.1	दंड के रूप में	-
7.2	वन भूमि पर	-
7.3	गैर वन भूमि पर	17.069 हे०
8.	प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	-
8.1	दंड के रूप में वनीकरण	-
8.2	वन भूमि पर	-
8.3	गैर वन भूमि पर वनीकरण	-
9.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष संस्तुति	48.281 हे० प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है


क्षेत्रीय वन अधिकारी
 रैंज - सिल्लौर
 सा०या० प्रभाग कानपुर


 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 कानपुर (उ०प्र०)


 प्रभागीय वनाधिकारी
 वन प्रभाग - कानपुर नगर
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 कानपुर